HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3489/2026

Mithles Devi W/o Sh. Sanjay Kumar

----Petitioner/accused

Versus

The State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Nikhil Saini
For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V.J.)

<u>Order</u>

<u>08/06/2026</u>

स्थगन प्रार्थनापत्र संख्या 4177/2026 पर सुना गया।

याचीगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण सिविल प्रकृति का है। दोनों पक्षों में जमीन के क्रय–विक्रय से संबंधित विवाद है। सिविल प्रकृति के मामले को आपराधिक रूप देने के लिए यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। याचीगण–अभियुक्तगण अन्वेषण में सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन संबंधित पुलिस उनको गिरफ्तार करने पर आमादा है। अतः उन्हें गिरफ्तार नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि यह सही है कि प्रकरण सिविल प्रकृति का है, लेकिन अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों व प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण–अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.06.2026 को या इससे पूर्व संबंधित थानाधिकारी/अन्वेषण अधिकारी के समक्ष अन्वेषण हेतु उपस्थित रहें।

RAJASTHAN HIGH COURT

प्रकरण दिनांक 22.07.2026 के सूचीबद्ध किया जावे, तब तक याचीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 174/2026 पुलिस थाना गुढ़ा, जिला–झुंझुनूं में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

याची अधिवक्ता द्वारा नोटिस मय आदेशिका शुल्क प्रस्तुत करने पर परिवादी/अयाची क्रम–2 को नोटिस जारी किये जावें।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (V. J.)),J

212/VISHAL SHARMA